न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 54 / 2021
निर्णय दिनांक : 17.10.2023

1. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री रामपाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री रामपाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण
3. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामपाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण
4. जगदीश पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण,
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण,
6. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री ग्यारसीलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण,

निवासीगण– गढ़ के पीछे, बागड़ो का मौहल्ला, ग्राम बगरूकला, तहसील– सांगानेर, जिला –जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राज.सरकार जरिये उपतहसीलदार बगरू, लिंक रोड़, उपतहसील बगरू ग्राम–बगरू तह. सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत राजस्व नक्शे की लिपिकिय त्रुटि / तरमीम व जमाबन्दी की लिपिकीय
त्रुटि दुरूस्त किये जाने बाबत

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1401/3 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर के सन्दर्भ में हस्तगत् प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व नक्शे व जमाबन्दी की लिपिकिय त्रुटि तथा तरमीम दुरूस्ती के प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के स्व. पिता रामपाल पुत्र चिमना व प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 के स्व. पिता ग्यारसीलाल पुत्र चिमना जाति बागड़ा ब्राहम्ण के नाम दर्ज अंकित रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता स्व. रामपाल व स्व. ग्यारसीलाल आपस में सगे भाई थे। जिनके स्वर्गवास के उपरान्त भूमि के आपसी सहमति के विभाजन उपरान्त कायम हाल खसरा नम्बर ;उपरोक्त (वर्णितानुसार) काबिज खातेदार काश्तक[illegible] प्रकार प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व उनकी [illegible] माता रामेश्वरी देवी तथा प्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता स्व. ग्यारसीलाल [illegible] के द्वारा अन्य खसरा नम्बर के साथ ही उपरोक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर का आपसी सहमति से विभाजन जरिये विभाजन विलेख दिनांक 04–02–2002 के करते हुए विभाजन के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय)

नामान्तकरण खोलने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06–02–2002 को प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया तथा सहमति अनुसार विभाजन पत्र दिनांकित 06–02–2002 मय आपसी सहमति के नक्शे के तैयार कर तहसीलदार सांगानेर को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर के द्वारा उक्त विभाजन स्वीकार फरमाया जाकर अपने पत्र दिनांक 26–07–2002 द्वारा पटवारी हल्का बगरू को नियमानुसार रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही हेतु विभाजन पत्र मय सहमति के प्रस्तावित नक्शे व सहमति के विभाजन विलेख दिनांक 04–02–2002 प्रेषित किया गया। जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर के साथ अन्य खसरा भूमि का विभाजन कर दिया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में आगे वर्णित किया गया है कि पक्षकारान के सहमति के विभाजन विलेख दिनांक 04–02–2002 के मद संख्या 6 व संलग्न आपसी सहमति के नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 1399 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400 मिन रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401 मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के हक में हिस्सा 1/2 व प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 के स्व. पिता ग्यारसीलाल पुत्र चिमना के हक में हिस्सा 1/2 अनुसार भूमि रास्ते उपयोग हेतु शामलाती रही है जिसे सहमति विभाजन विलेख दिनांकित 04.02.2002 व संलग्न सहमति के नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है तथा सहमति विभाजन विलेख दिनांकित 04.02.2002 के मद संख्या 1 व संलग्न आपसी सहमति के नक्शे अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1401 मिन रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1399 मिन रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400 मिन रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4246 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4356 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर जिसे सहमति विभाजन विलेख दिनांक 04.02.2002 व संलग्न सहमति के नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, जोकि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के हक, हिस्से व कब्जे मे रही है। इसी प्रकार सहमति विभाजन विलेख दिनांक 04.02.2002 के मद संख्या 2 व संलग्न सहमति नक्शे अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1399 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401 मिन रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1468 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4297 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4359 मिन रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर (जिसे सहमति विभाजन विलेख के संलग्न सहमति के नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है) जो कि प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 के पिता स्व. ग्यारसीलाल के हक हिस्से व कब्जे में रही है तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 के पिता के स्वर्गवास उपरान्त प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 के हक हिस्से व कब्जे मे रही है। इस प्रकार सहमति विभाजन विलेख दिनांक 04.02.2002 व संलग्न सहमति के नक्शे अनुसार ही प्रार्थीगण भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं तथा इसी अनुसार कब्जे काश्त/काबिज है। निष्पादित सहमति विभाजन विलेख, संलग्न सहमति नक्शा व कब्जे काश्त को लेकर प्रार्थीगण को कोई आपति–एतराज नहीं है।

प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण [illegible] तथा प्रार्थीगण संख्या 4 से 6 के पिता स्व. ग्यारसीलाल के द्वारा सहमति [illegible] विभाजन व नक्शा निष्पादित किया जाकर प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार शामलाती रास्ता खसरा नम्बर 1399, 1400 व खसरा नम्बर 1401 में खेत के बीच सहमति अनुसार प्रस्तुत नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है किन्तु पक्षकारान की आपसी सहमति अनुसार प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उप अधिकारी [illegible] (द्वितीय)

विभाजन पत्र व सहमति नक्शा की पालना में तरमीम करते समय तहसील कर्मचारीगण द्वारा विभाजन के बाद बने खसरा नम्बर 1399/1, 1400/1, 1401/1, 1399/3, 1401/3, 1399/2, 1400/2, 1401/2 के नक्शे में नक्शे की तरमीम गलत इन्द्राज करते हुए शामलाती रास्ता खसरा नम्बर 1399, 1400 व खसरा नम्बर 1401 में खेत के बीच उक्त विभाजन सहमति व विभाजन अनुसार प्रस्तुत नक्शे में पीले रंग से दर्शाये अनुसार नहीं कर प्रार्थीगण शामलाती रास्ते को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खसरा नम्बर 1399/1, 1400/2 व 1401/2 के उत्तरी सीमा पर गलत तरमीम कर दिया जोकि उक्त सहमति के अनुसार प्रस्तुत विभाजन पत्र व संलग्न सहमति नक्शा अनुसार शामलाती रास्ता विभाजन के पूर्व के खसरा नम्बर 1399, 1400 व 1401 में खेत के बीच उक्त नक्शे में पीले रंग से दर्शाये अनुसार किया जाना अपेक्षित व प्रार्थनीय है तथा उक्तानुसार बीच में शामलाती रास्ता किये जाने पर शामलाती रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर व खेत के 2 टुकड़ो के अलग–अलग खसरा नम्बर किया जाना अपेक्षित है। जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 1399/1 का रकबा 0.020 हैक्टेयर है तथा खसरा नम्बर 1399/2 का रकबा 0.26 हैक्टेयर है, किन्तु राजस्व नक्शे में नक्शे की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारीगण द्वारा त्रुटिवंश नक्शे में खसरा नम्बर 1399/1 का रकबा बढ़ा दिया है तथा खसरा नम्बर 1399/2 का रकबा कम कर दिया जिससे नक्शे की तरमीम पर खसरा नम्बर का नक्शे में आपसी गलत परिवर्तन कर दिया गया तथा जमाबन्दी के अनुसार 1399/1 जोकि प्रार्थीगण की सभी की सयुक्त खातेदारी की शामलाती रास्ते की कृषि भूमि है जिसका रकबा 0.020 हैक्टेयर है को गलत तरमीम करते हुए रकबा बढ़ा दिया गया है अर्थात राजस्व नक्शे में जहॉ 1399/2 होना चाहिए वहॉ 1399/1 कर दिया गया तथा जहॉ खसरा नम्बर 1399/1 होना चाहिए वहॉ खसरा नम्बर 1399/2 कर दिया गया है एंव जमाबन्दी में 1401/1 शामलाती भूमि अंकित है किन्तु उक्त खसरा नम्बर 1401/1 राजस्व नक्शे में शामलाती रास्ते के रूप में अंकित नहीं है जो अपेक्षित है। इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 1399/3 जो कि प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 की कृषि भूमि है को पक्षकारान के आपसी सहमति से निष्पादित विभाजन पत्र व संलग्न नक्शे में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्से के रूप में लाल रंग के बाद, प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 का हिस्सा हरे रंग से खसरा नम्बर 1399/3 रकबा 0.020 के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित व प्रार्थनीय है। उक्त क्रम में सहमति विभाजन पत्र व संलग्न नक्शे के अनुसार रकबे का आंकलन किया जाकर पक्षकारान की सहमति के नक्शे के अनुसार नक्शे की तरमीम की जाकर नक्शे के अनुसार बीच में से रास्ता निकाला जाकर व खसरा नम्बर 1399/3 रकबा 0.020 को उक्त प्रकार से आपसी सहमति के संलग्न विभाजन नक्शे के अनुसार लाल रंग के रकबे को छोड़कर हरे रंग के अनुसार किया जाकर तथा प्रत्येक टुकड़े को वास्तविक रकबा अनुसार खसरा नम्बर किया जाना अपेक्षित व न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि नक्शे की तरमीम की त्रुटि को [illegible] प्रार्थी[illegible] द्वारा राजस्व रिकार्ड का नक्शा हाल ही में देखने पर हुई है [illegible] जिसके [illegible] द्वारा अविलम्ब तहसीलदार सांगानेर के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने [illegible] प्रार्थना पत्र कार्यवाही के अन्तर्गत् प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। अतः [illegible] निष्पादित विभाजन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति अनुसार निष्पादित विभाजन पत्र व आपसी सहमति के विभाजन नक्शे अनुसार रकबे का आंकलन किया जाकर सहमति विभाजन पत्र व संलग्न सहमति नक्शा अनुसार तरमीम की जाकर उक्तानुसार बीच में से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

निकाला जाकर व खसरा नम्बर 1399/3 रकबा 0.020 हैक्टेयर को उक्त प्रकार से आपसी सहमति के संलग्न विभाजन नक्शे के अनुसार लाल रंग के रकबा को संलग्न विभाजन नक्शे के अनुसार हरे रंग के रूप में किया जाकर तथा प्रत्येक टुकड़े के वास्तविक रकबा के अनुसार खसरा नम्बर किए जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है:

1. जमाबन्दी सम्वत् 2055 की प्रमाणित प्रति
2. जमाबन्दी सम्वत् 2062 की प्रमाणित प्रति
3. जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की प्रमाणित प्रति
4. तहसीलदार सांगानेर द्वारा पटवारी हल्का बगरू को भूमि के विभाजन की अनुमतता बाबत निर्देशित पत्र दिनांक 26–07–02 की प्रति
5. पक्षकारान के मध्य सहमति के कम में विभाजन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06–02–2002 की प्रति मय संलग्न निर्धारित प्रपत्र की प्रति
6. सहमति विलेख पत्र दिनांक 04–02–2002 की प्रमाणित प्रति
7. सहमति नक्शा की प्रमाणित प्रति

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तहसीलदार सांगानेर व उपतहसीलदार बगरू को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सांगानेर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि पक्षकारान के सहमति विभाजन पत्र दिनांक 04–02–2002 के अनुसार खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400 रकबा 0.27 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.29 हैक्टेयर का विभाजन (1) रामनारायण, सत्यनारायण, कैलाशचन्द पि0 रामपाल व रामेश्वरी देवी बेवा रामपाल जाति–बागड़ा ब्राहम्ण खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400 रकबा 0.24 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 3 (2) ग्यारसीलाल पुत्र चिमना जाति–बागड़ा ब्राहम्ण खसरा नम्बर 1399/3 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2(3) रामनारायण, सत्यनारायण, कैलाशचन्द पि0 रामपाल व रामेश्वरी देवी पत्नी रामपाल हिस्सा 1/2 ग्यारसीलाल पुत्र चिमना हिस्सा 1/2 जाति–बागड़ा ब्राहम्ण खसरा नम्बर 1399 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400 मिन रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1401 मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर अनुसार किया गया । जिसके कम में जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर शामलात खातेदार कैलाश चन्द पुत्र रामपाल हि[illegible] जगदीश प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा 1/6, रामकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल हि[illegible] रामनारायण पुत्र रामपाल हिस्सा 1/6, लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हि[illegible]/6, सत्यनारायण पुत्र रामपाल हिस्सा 1/6, जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा0 देह. खा[illegible]र दर्ज रिकार्ड है तथा मु नक्शा ट्रेस नकल के अनुसार रास्ते के खसरा नम्बर 1399/2, 1400/1, 1399/1, 1400/2 की उत्तरी सीमा पर तरमीम की गयी है तथा खसरा नम्बर 1401/2 की तरमीम खसरा नम्बर 1400/2 की पूर्वी दिशा पर की गई है। तहसीलदार सांगानेर की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि आलोच्य विभाजन पत्र में दर्ज खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम सहमति विभाजन पत्र व संलग्न सहमति नक्शा के मुताबिक खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 के मध्य नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये गए स्थान पर रास्ता रखना चाहते है जो बंटवारे में खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 का एक–एक बटा नम्बर कम दर्ज होने के कारण नजरी नक्शे के मुताबिक नहीं की जा सकी है जिससे खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 का नवीन बट्टा नम्बर दर्ज किये जाने की स्वीकृति के पश्चात ही खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम नजरी नक्शा विभाजन पत्र के अनुसार किया जाना संभव है।

बहस प्रार्थना पत्र धारा 136 के तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत व उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.01.2023 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि पक्षकारान के विभाजन पत्र में दर्ज खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 का एक एक बटा नम्बर कम दर्ज होने के कारण मुताबिक नजरी नक्शे के नही की जा सकी है जो कि खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 का नवीन बटा नम्बर दर्ज किये जाने की स्वीकृति के पश्चात् ही खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर की तरमीम मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा विभाजन पत्र के अनुसार किया जाना संभव है।

अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर नम्बर 1399, 1400, 1401 के अपेक्षानुसार नवीन खसरा नम्बर दर्ज अंकित किये जाकर पक्षकारान की सहमति अनुसार शामलाती रास्ते (पक्षकारान) की भूमि व नक्शे की तरमीम उक्तानुसार दर्ज अंकित किए जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण विभाजन पत्र में दर्ज खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम सहमति विभाजन पत्र व संलग्न सहमति नक्शा के मुताबिक खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 के मध्य नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये गए स्थान पर करवाना चाहते हैं जो बंटवारे में खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 का एक-एक बटा नम्बर कम दर्ज होने के कारण नजरी नक्शे के मुताबिक नहीं की जा सकी है जिससे खसरा नम्बर 1399, 1400,1401 का नवीन बट्टा नम्बर दर्ज किये जाने की स्वीकृति के पश्चात् ही खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम नजरी नक्शा विभाजन पत्र के अनुसार किया जाना संभव है।

बहस प्रार्थना पत्र धारा 136 के तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत व उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.01.2023 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि पक्षकारान के विभाजन पत्र में दर्ज खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल खसरा किता 3 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 का एक एक बटा नम्बर कम दर्ज होने के कारण मुताबिक नजरी नक्शे के नही की जा सकी है जो कि खसरा नम्बर 1399, 1400, 1401 का नवीन बटा नम्बर दर्ज किये जाने की स्वीकृति के पश्चात् ही खसरा नम्बर 1399/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1401/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर की तरमीम मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा विभाजन पत्र के अनुसार किया जाना संभव है।

अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर नम्बर 1399, 1400, 1401 के अपेक्षानुसार नवीन खसरा नम्बर दर्ज अंकित किये जाकर पक्षकारान की सहमति अनुसार शामलाती रास्ते (पक्षकारान) की भूमि व नक्शे की तरमीम उक्तानुसार दर्ज अंकित किए जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:31:12 IST
Reason: SelfAttested

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर